न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला—पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/82
दायरा तिथि : 13.04.2023
आदेश तिथि : 18-09-2024
प्रार्थी :—

श्री शिवलाल पुत्र जेपाराम जाति ढोली, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

ब ना म

अप्रार्थी :—

1. चुन्नीबाई पत्नि सांकलाराम
2. पुखराज पुत्र सांकलाराम
3. पुष्पादेवी पुत्री सांकलाराम
4. फैंसीदेवी पुत्री सांकलाराम
5. बाबुलाल पुत्र सांकलाराम
6. मोहनलाल पुत्र सांकलाराम
7. रमेश पुत्र सांकलाराम
8. शोभादेवी पुत्री सांकलाराम जाति—हीरागर निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राज.)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 18-09-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम—68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 934 रकबा 0.6200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 935 रकबा 1.2200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे पीले रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम—69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप—6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1257 दिनांक 31.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1319 दिनांक 13.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :—

1. यह है कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 935 में प्रार्थी की खातेदारी जोत तक आवागमन हेतु उपलब्ध सभी विकल्पों में से नजदीकी रास्ता है, अन्य निकटतम कोई विकल्प नहीं है।
2. यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित खसरे की डी.एल.सी. दर 1,79,658 रू/— रूपये प्रति हैक्टर है।
3. यह है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत खसरा नंबर 934 तक आवागमन हेतु रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतू साधन लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।
4. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	935	1.2200 हैक्टर	बारानी दोयम	147X09=1323 वर्गमीटर	चुन्नीबाई पत्नि सांकलाराम हिस्सा 1/8 जाति हीरागर वगैरा

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार...............02

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/82

अनवान शिवलाल बनाम चुन्नीबाई वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 934 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 937, 2702/2681, 874 से आना जाना किया जा सकता है जो भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बताया है जबकि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 937, 2702/2681, 874 से प्रार्थी को रास्ते के लिये भूमि दी जा सकती है। खसरा नंबर 937, 2702/2681, 874 के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। प्रकरण में वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 934 रकबा 0.6200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से खसरा नंबर 935 रकबा 1.2200 हैक्टर मे से नये रास्ते हेतु आवेदन किया है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्त को ही न्यूनतम व निकटतम होना बताया गया है। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 934 रकबा 0.6200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 935 रकबा 1.2200 हैक्टर में से **1323 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,79,658/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
935	1.2200 हैक्टर	147X09=1323 वर्गमीटर	18	23814X2=47628	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 47,628/- (अक्षरे सैंतालिस हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/82

अनवान शिवलाल बनाम चुन्नीबाई वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 18-03-2024

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 1994-1998

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री शिवलाल पुत्र जेथाराम जाति ढोली, निवासी नोवी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

नजरी नक्शा
ग्राम - बिसलपुर
तह. - बाली
जिला - पाली (राज.)

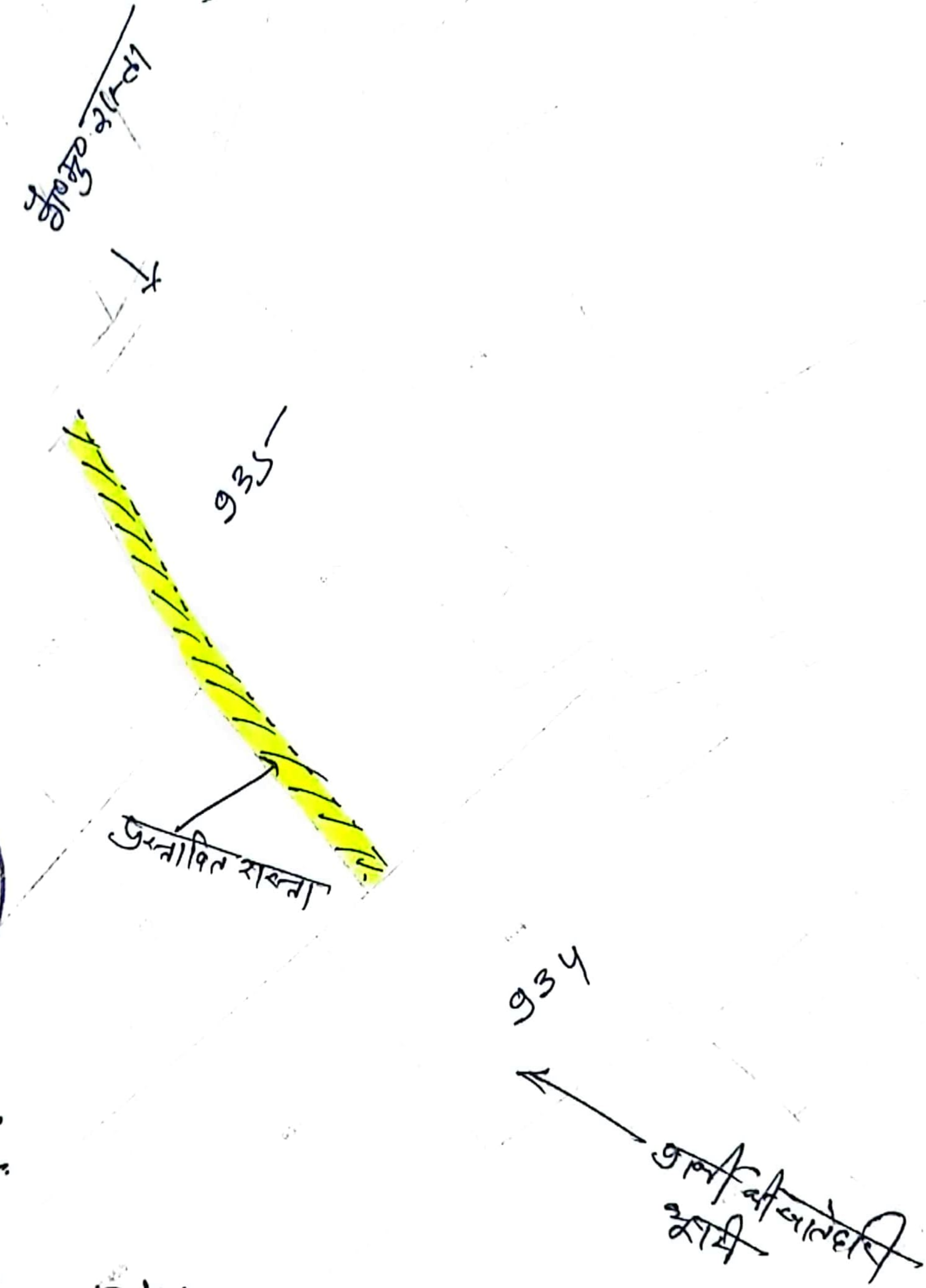

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

Ex-Court
18/9/024

तहसीलदार बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

190 बाली, RI 1133 बिसलपुर, Halkas : 04491 बिसलपुर, गाँव

Sheet No 001

भू.अ. निरीक्षक... बिसलपुर
तहसील - बाली (पाली)

CamScanner